

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

62 / 19
19-8-2019

हरसहाय पुत्र रामफूल मीना निवासी ग्राम-सुरेली तहसील उनियारा जिला-टोंक
-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उप तहसील बनेठा जिला- टोंक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 29-7-2019 पत्रावली
सं0 1504 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री रमेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट अपीलान्ट
(2) श्री सै0 मजहर आलम , राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-1-2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 29-7-2019 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम सुरेली पर नीवें खोद कर तथा दीवार बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 20/रूपये की पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 9-12-2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नहीं किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा निर्णय से पूर्व माक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई ओर न ही मौके का निरीक्षण किया गया। अपीलान्ट को पूर्व में नोटिस जारी नहीं किया गया है ओर न ही अपीलान्ट की कोई प्रोपर तामील हुई है। अपीलान्ट को ऐसे किसी नोटिस की जानकारी नहीं हुई है, उक्त सम्पूर्ण भूमि चरागाह भूमि है जिस पर आबादी बसी हुई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है। अपीलान्ट ने किसी भी सारते पर अतिक्रमण नहीं किया है, अपितु कमलेश पुत्र बजरंगलाल, हंसराज पुत्र केसरलाल मीणा आदि द्वारा अतिक्रमण किया गया है वह प्रभावशाली व्यक्ति है और अपीलान्ट पटवारी से मिल कर उक्त कार्यवशाही अपीलान्ट




जिला कलेक्टर
टोंक

विरुद्ध करवाई है मौके पर अपीलान्त के कब्जे के मकान पर कोई रास्ता नहीं है अपीलान्त को गवाह सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया न ही पत्रावली में मौका रिपोर्ट मय नक्शा उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के खिलाफ एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 29-7-2019 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।


अपीलान्त के अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम सुरेली तह0 उनियारा मकान मनाने हेतु नींव खोदकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्त ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया था अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था जिसे पाबन्द किया गया था ओर मौके पर जाकर भी हल्का पटवारी तथा पुलिस कर्मचारी ने रास्ते में निर्माण कार्य नहीं करने हेतु समझाया था पर उसके द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा। अपीलान्त सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब भी प्रस्तुत किया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्त को चरागाह व रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम सुरेली पर नींव खोदकर मकान बनाकर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था, किन्तु अपीलान्त निरस्तर अपना कार्य चालू रखा। अपीलान्त ने पहले भी रास्ते में खाद का ढेर व लकड़िया डाली थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली संख्या 2181 निर्णय दिनांक 31-1-2012 से बेदखल किया था। अपीलान्त चरागाह भूमि पर से कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा का निर्णय दिनांक 29-7-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक